राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: innovation.cceraj@gmail.com Ph.: 0141-2706847 (O);

पत्रांक : CCE/ISDC/Gyan Ganga/2020/139; दिनांक : 30 Dec. 2020

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय (संलग्न सूची अनुसार)
राजस्थान ।

नव वर्ष 2021की हार्दिक शुभकामनाएं

<u>ज्ञान गंगा कार्यक्रम</u>

विषय : आयोजक महाविद्यालयों के द्वारा अनिवार्यतः ध्यान दिए जाने संबंधी दिशा– निर्देश ।

संदर्भ : आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी पत्रांक. CCE/ISDC/Gyan Ganga/2020/133; दिनांक 24 दिसम्बर 2020 के कम में।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संकाय सदस्यों को उनके विषय में अद्यतन ज्ञान संवर्द्धन, शोध अभिवृत्ति प्रोत्साहन, कक्षा अध्यापन कौशल एवं नवाचार परक शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा ज्ञान गंगा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 11 जनवरी से 20 फरवरी 2021 की अवधि में 23 राजकीय महाविद्यालयों के माध्यम से कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जा रहे हैं जिसके लिये उपर्युक्त आदेश द्वारा निर्देशित किया जा चुका है। इसी कम में इन कार्यकमों के सफल आयोजन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है –

1. आयोजक महाविद्यालयों के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाए।
2. **आयोजक महाविद्यालय के द्वारा जिस प्लेटफार्म पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाना है, उसका उल्लेख करें और लिंक तैयार करवाकर आयोजन आरम्भ तिथि से 10 दिवस पूर्व आयुक्तालय के नवाचार प्रकोष्ठ को सूचित करेंगे।** साथ ही, प्रशिक्षणार्थियों के लिए पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार करवा लिये जाने की सूचना प्रेषित करेंगे।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विषय–बिंदु का निर्धारण करें और इसकी सूचना आयुक्तालय को प्रेषित करें।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आयुक्तालय द्वारा नामित संकाय सदस्यों/प्रशिक्षणार्थियों द्वारा संपर्क करने के लिये आयोजक महाविद्यालय से आयोजन समिति में से संकाय सदस्यों के नाम, उनका पदनाम एवं

17

मोबाइल नंबर आयुक्तालय को साझा करना है। इन संकाय सदस्यों के नाम आयुक्तालय द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की जारी की जाने वाली सूची में भी अंकित किये जायेंगे।

5. प्रशिक्षण कार्यक्रम का पोस्टर/फ्लैक्स तैयार करवाना है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तरीय कार्यक्रम हैं जो कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर एवं संबंधित महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगे। अतः तद्नुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम का पोस्टर/फ्लैक्स तैयार होंगे। इसके लिये किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आयुक्लालय के नवाचर प्रकोष्ठ से सम्पर्क करें।
6. विषय विशेषज्ञों का चयन कर पैनल तैयार करें। विषय विशेषज्ञों का चयन करते समय विषय विशेषज्ञता एवं उपादेयता का ध्यान रखा जाए। आयोजक महाविद्यालय द्वारा अन्तिमतः चयनित विषय विशेषज्ञों के पैनल की सूचना आयुक्तालय को प्रेषित की जानी अनिवार्य है। विषय विशेषज्ञों के चयन के संबंध में उपर्युक्त आदेश के बिन्दु संख्या 09 का अवलोकन करें।
7. प्रशिक्षण का प्रतिदिन न्यूनतम समय 2 घण्टा 30 मिनिट रहेगा। तथा प्रत्येक दिन आयोजित होन वाले एक व्याख्यान की न्यूनतम अवधि 30 मिनट और अधिकतम एक घंटा रहेगी। प्रायोगिक विषयों में प्रत्येक दिन 30 मिनिट का एक सत्र प्रयोगात्मक गतिविधियों के लिये रखवाया जाना है।
8. प्रशिक्षणार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पाठ्य/प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाएं।
9. स्थानीय समाचार पत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित समाचार प्रकाशित करवायें, और प्रकाशित समाचार की प्रति आयुक्तालय को भी प्रेषित करें।
10. प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण के बारे में सत्रवार फीडबैक, उपयोगिता दृष्टिकोण, प्रशिक्षणार्थी का नाम, पदनाम ,महाविद्यालय का नाम, मोबाइल सहित कोई सुझाव हो तो इन सभी को सम्मिलित करते हुए प्रत्येक आयोजक महाविद्यालय द्वारा फोटोग्राफ्स सहित सुसज्जित रिपोर्ट भिजवाया जाना अनिवार्य ताकि कार्यक्रमों का रिकार्ड संधारित करवाया जा सके।
11. **प्रथम चरण में दिनांक 11 से 16 जनवरी 2021 की अवधि में आयोजन करवाने वाले महाविद्यालयों द्वारा प्लेटफार्म लिंक एवं रजिस्ट्रेशन फॉर्म तथा अन्य आवश्यक सूचनाएं दिनांक 5 जनवरी 2021 तक भिजवाये जाने की अनुमति है।**
12. सभी सूचनाएं ज्ञान गंगा कार्यक्रम की ई–मेल आई.डी. **gyanganga.cceraj@gmail.com** पर भिजवायी जानी हैं।

उपर्युक्त सभी बिंदुओं की सभी आयोजक महाविद्यायों द्वारा कियान्विति सुनिश्चित करनी है। इस संबंध में किसी प्रकार के संवाद अथवा मार्गदर्शन हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर में निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं –

1.	डॉ. विनोद कुमार भारद्वाज	: प्रभारी अधिकारी नवा. एवं कौशल विकास	9414304650
2.	डॉ. शिवांगना शर्मा	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	9461519852
3.	डॉ. ललिता यादव	: सह आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	9529993619
4.	डॉ. विश्राम मीना	: सहा. आचार्य, नवा. एवं कौशल विकास	9950373686

बी. एल. गोयल, RAS
अतिरिक्त आयुक्त

पत्रांकः CCE/ISDC/Gyan Ganga/2020/139; दिनांकः 30 दिसम्बर 2020

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सभी प्रभारी अधिकारी, महाविद्यालय समूह, आकाशि, जयपुर।
4. वैब प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई–मेल करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

30/12/2020

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी अधिकारी,
नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ

राजकीय महाविद्यालयों को ज्ञान गंगा कार्यक्रमान्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आवंटन

दिनांक 11 जनवरी– 20 फरवरी 2021

क. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय एवं आयोजन चरण (आयोजन वर्ष 2021)				
		I **11-16 Jan.**	**II** **18-23 Jan.**	**III** **25-31 Jan.** (Excluding 26th Jan.)	**IV** **01-06 Feb.**	**V** **15-20 Feb.**
1.	राज. महा. अजमेर	Chemistry	History	Pol. SC.	Botany	Zoology
2.	राज. डूंगर महा. बीकानेर	Botany	Chemistry	Zoology	Pol. Sc.	
3.	राज. महा. सिरोही					Chemistry
4.	राज. विज्ञान महा. कोटा		Zoology		Chemistry	
5.	राज. कला महा. कोटा	Geography				
6.	राज. कला कन्या महा. कोटा	Sociology	Sanskrit	Economics		
7.	राज. वाणिज्य महा. कोटा			Bus. Adm.		
8.	राजर्षि राज. महा. अलवर		Botany	Chemistry		
9.	मीरा कन्या महा. उदयपुर	Zoology	Geography	Sociology	Sanskrit	Home Sc.
10.	महा. श्री जया महा. भरतुपर			Botany	Zoology	
11.	राज. महा. चित्तौडगढ				Geography	
12.	राज. महा. झालावाड					Geography
13.	राज. महा. चुरु			Geography		History
14.	राज. महा. बूंदी	History				Botany
15.	राज. महा. श्रीगंगानगर	Pol. Sc.				
16.	राज. कन्या महा. श्रीगंगानगर		ABST			
17.	राज. महा. कोटपूतली		Hindi			Pol. Sc.
18.	राज. महा. जोधपुर				ABST	
19.	राज. महा. बांदीकुई	Hindi			History	
20.	राज. महा. बांसवाडा				Hindi	
21.	राज. महा. दौसा		Pol. Sc.			
22.	राज. महा. नाथद्वारा	Economics				
23.	राज. कन्या महा. चौमूं	Home Sc.				

(signature) 28/12/2020
(Dr Vinod K. Bhardwaj)